



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



17 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 145 राँची, गुरुवार,

7 मार्च, 2024 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

-----

संकल्प

17 जनवरी, 2024

**संख्या-8/आरोप-04/2023 का०-363--**झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राँची सम्प्रति उप सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध निदेशालयी सकारण आदेश संख्या-652 (विधि) दिनांक-18.11.2019 द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध पत्रांक-202 दिनांक-08.02.2022 निर्गत करके सरकार को अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों के भुगतान की बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न करने, श्री लालकुरियस मिंज, सहायक शिक्षक, लुथेरन मध्य विद्यालय, गुमला के अनियमित नियुक्ति की वैधता प्रदान करने हेतु वेतन निर्धारण अनुमोदन से सम्बन्धित संचिका का संधारण नहीं करके विभागीय स्क्रीनिंग समिति को गुमराह करने, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करने, लुथेरन मध्य विद्यालय, गुमला में श्री नहुम लकड़ा के कार्यरत रहते

उनके धारित पद को रिक्त मानकर विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त किये गये सहायक शिक्षक श्री लालकुरियस मिंज के गलत वेतनादि भुगतान के दावे को सही ठहराने का प्रयास करने विभागीय संकल्प संख्या-642 दिनांक-01.03.2021 की गलत व्याख्या करने एवं विभागीय पदाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास करने संबंधी आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है ।

2. श्री सिंह के विरुद्ध स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-928 दिनांक-17.04.2023 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप-पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-2995 दिनांक-24.05.2023 तथा स्मार पत्र संख्या-4516 दिनांक-04.08.2023 के पश्चात् भी श्री सिंह से स्पष्टीकरण अप्राप्त है। फलस्वरूप प्रतिवेदित आरोपों को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित मानते हुए इसकी जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रमाकांत सिंह (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री अरूण कुमार, अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**गुलाम सरवर,**

सरकार के अवर सचिव ।

-----